न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान वारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 20 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. दमाराम पुत्र उगराराम	बनाम 1.विशनाराम पुत्र सोनाराम उम्र 73
2. मालाराम पुत्र उगराराम	वर्ष जाति जाट निवासी उचावड़ा
3. श्रीमती हीरादेवी पत्नी उगराराम	2.शाखा प्रवंधक पंजाव नेशनल
4. श्रीमती सीरूदेवी पत्नी मेघाराम	वैंक शाखा उण्डू तहसील शिव
5. रामाराम पुत्र मेघाराम	3.राजस्थान राज्य जरीये
6. धुड़ाराम पुत्र मेघाराम	तहसीलदार शिव जिला वाड़मेर
7. तुलछाराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी उचावड़ा (काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर राज.	

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 180 / 2021 वअनवान विशनाराम बनाम दमाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री पुरूषोतम सोनी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़, श्री महेन्द्रसिंह रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.10.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 84 रकवा 32 वीघा ग्राम उचावड़ा में अवस्थित है, जिससे लगता हुआ विप्रार्थी / अपीलांटगण का खेत खसरा संख्या 82 रकबा 44.11 बीघा, खसरा संख्या 85 रकवा 40.05 वीधा भूमि प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रास्ते में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई जिस पर अपीलांट द्वारा आपति जाहिर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अपीलांट कों सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा आपति उठाई गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपति पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसलिए अपीलांटगण की ओर से आज एक प्रार्थना–पत्र बाबत दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु पेश किया जाकर श्रीमानजी से निवेदन है कि मौके से पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2017(1) Page 423
RRD 2016 Page 458
RRT 2016(1) Page 649

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 32 बीघा ग्राम उचावड़ा में अवस्थित है, जिससे लगता हुआ विप्रार्थी/अपीलांटगण का खेत खसरा संख्या 82 रकबा 44.11 बीघा, खसरा संख्या 85 रकबा 40.05 बीधा भूमि प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई औचित्य नहीं है लिहाजा यह खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी की जोत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना अवधारित किया है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट पक्ष के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में किये गए आक्षेपों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 06.10.2021 को पुनः मौके की रिपोर्ट मंगवाने बाबत आवेदन पेश किया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। प्रकरण में एक मौका रिपोर्ट विधि की मंशानुसार मंगवाई जाकर रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी मौका फर्द दिनांक 13.12.2020 का अवलोकन करते हुए लघुतम दूरी का रास्ता दिया गया है इसलिए अपील में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट द्वारा बताये गए दूसरे विकल्प को रिपोर्ट के आलोक में देखा जाने पर स्पष्ट है कि वह विकल्प लघुतम दूरी वाला रास्ता नहीं है। उनका आक्षेप खारिज किया जाता है। वैकल्पिक रास्ता समुचित चौड़ाई वाला हो ऐसा रिकॉर्ड पर नहीं होने से प्रस्तुत नजीरे प्रकरण में चस्पा नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। रास्ता रेस्पोडेंट प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता है जिसे विधि की मंशानुसार दिया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 180/2021 बअनवान विशनाराम बनाम दमाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब आदेश की पालना में रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवाकर सुचारू करे।

6/10/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/10/2021

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर